

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है।

संक्षिप्त नाम.

२. नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा २३-क में, उप-धारा (१) में,-

धारा २३-क का
संशोधन.

उप-धारा (१) में,-

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "दो तिहाई" के स्थान पर, शब्द "तीन चौथाई" स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिक निगम में अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव के विद्यमान उपबंधों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें। वर्तमान में अध्यक्ष को पद से हटाने का उपबंध मात्र दो तिहाई बहुमत के आधार पर है, किन्तु वर्तमान उपबंध के संशोधन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित पार्षदों के तीन चौथाई मतों के आधार पर पारित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन के मात्र दो वर्ष पश्चात् लाने का उपबंध है, जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा रहा है। अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में कठिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं।

धोपाल :

तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय

भारसाथक सदस्य.

उपार्द्ध

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, २०२४ (क्रमांक २३ सन् १६५६) से उद्धरण.

४८०६ नवाचित (प्रतिक्रिया) अग्री विभागीय समिति

थारा २३-क

अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सके और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा:-

परन्तु अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव:-

(एक) उस तारीख से जिससे कि अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर,

(दो) उस तारीख से, जिस पर कि पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष के भीतर नहीं होगा।

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

साक्ष तथा विषयक उत्तर विवरण

प्रियों, मैं लोकतान्त्रिक उपर्याप्ति का लाभ लेता हूँ कि ग्रामीण सम्बोधी के लिए इस ग्रन्थ को लोकतान्त्रिक उपर्याप्ति का लाभ लेने के लिए इसका लिखा गया ग्रन्थ है। इसका लिखा गया ग्रन्थ की विशेषताएँ यह हैं कि इसका लिखा गया ग्रन्थ एक सम्पूर्ण अधिकारी की विशेषताएँ वाली है। इसका लिखा गया ग्रन्थ की विशेषताएँ वाली है।

लोकतान्त्रिक सम्बोधी

मध्यप्रदेश सभा

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २४ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है।

संक्षिप्त नाम.

२. नगरपालिका अधिनियम, १९६९ (क्रमांक ३७ सन् १९६९) की धारा ४३क में, उपधारा (१) में,-

धारा ४३क का
संशोधन.

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द “दो तिहाई” के स्थान पर, शब्द “तीन चौथाई” स्थापित किए जाएं।

(ख) परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द “दो वर्ष” के स्थान पर, शब्द “तीन वर्ष” स्थापित किए जाएं।

३. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ४ सन् २०२४) एतद्वारा, निरसित किया जाता है।

निरसन तथा
व्यावृति.

(२) उक्त अध्यादेश के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई,

इस अधिनियम के तत्स्यानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

१. नगरपालिका और नगर परिषद् में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव के विद्यमान उपबंधों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें। वर्तमान में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का उपबंध मात्र दो तिहाई बहुमत के आधार पर है, किन्तु वर्तमान उपबंध के संशोधन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन पार्बंदों के तीन चौथाई मतों के आधार पर पारित किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन के मात्र दो वर्ष पश्चात् लाने का उपबंध है, जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा रहा है। अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६९ (क्रमांक ३७ सन् १९६९) में कठिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित है।
२. दूसिंह मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चलू नहीं था, अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२४ इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।
३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४.

कैलाश विजयवर्गीय

भारसांचक सदस्य।

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४ (क्रमांक ३७ सन् १६६१) से उच्चरण.

* * * * *

धारा ४३- क अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव :

(१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों की दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाये और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिवद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जायेगा। ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिए भेजी जायेगी :

पन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव :-

(एक) उस तारीख से जिससे की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे दो वर्ष की कालावधि के भीतर

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.